न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0–56/2020

रमेश यादव वगै0............................वादीगण।

बनाम्

बिहारी यादव वगै0................................प्रतिवादीगण।

आदेश

21.02.2025 वादी की पैरवी है। प्रतिवादी की ओर से कोई पैरवी नही है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता अभिलेख पर ''कोई निर्देश नहीं'' (नो इन्सट्रक्शन) अंकित किये। वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के तरफ से दिनांक 10.06.2024 दाखिल आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुए यह कथन करते हैं कि इस वाद के प्रतिवादी संख्या 02 दूधनाथ यादव की मृत्यु दिनांक 17.05.2020 को हो चुकी है तथा प्रतिवादी सं0 02 के वारीस राजेश यादव पहले से अभिलेख पर मौजूद है तथा अन्य वारीसान धनरजिया देवी, मुकेश यादव, कमला यादव का नाम मृत प्रतिवादी सं0 02 दूधनाथ यादव का नाम कलमजद करते हुए उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय। वादी की ओर से प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए बिलम्ब की अवधि को माफ करने हेतू दफा 05 परिसीमा अधिनियम का आवेदन दाखिल किया गया है।

चूकिं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता इस वाद में उपस्थित होकर अभिलेख पर ''कोई निर्देश नहीं'' (नो इन्सट्रक्शन) अंकित किये है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई प्रति–उत्तर दाखिल नहीं है। अतः प्रतिवादी को प्रति–उत्तर दाखिल करने से वंचित किया जाता है। न्यायहित में प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए बिलम्ब की अवधि को क्षांत करते हुए वादी के तरफ से दिनांक

लगातार

21.02.2025 10.06.2024 दाखिल आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि मृत प्रतिवादी स0 02 दूधनाथ यादव का नाम इस वाद से कलमजद करते हुए उनके कानूनी वारीसान वारीसान धनरजिया देवी, मुकेश यादव, कमला यादव का नाम उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करें। वादी नए प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतू आवश्यक आपेक्षिकाएं दाखिल करें। तत्पश्चात कार्यालय नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–11.04.2025 वास्ते के सुनवाई हेतू।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)